राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 196/2022

GCMS No. 2022/551

भूरेलाल पुत्र स्व. श्री जीवनराम जाति हरिजन निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

........वादी

ब–ना–म

1. चमेली पुत्री जीवनराम
2. मैना पुत्री जीवनराम
3. लाली पुत्री जीवनराम
4. सोना पुत्री जीवनराम

1 लगायत 4 समस्त जाति हरिजन निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

5. सुरेश पुत्र स्व. नाराणी नवीरा जीवनराम
6. भतेरी पुत्री स्व. नाराणी नवीरा जीवनराम
7. सन्तोष उर्फ सुनिता पुत्री स्व. नाराणी नवीरा जीवनराम

5 लगायत 7 समस्त जाति हरिजन निवासी भांकरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

8. राजकुमार पुत्र स्व. श्रवण देवी नवीरा जीवनराम
9. धर्मपाल पुत्र स्व. श्रवण देवी नवीरा जीवनराम
10. सुनिता पुत्री स्व. श्रवण देवी नवीरा जीवनराम

8 लगायत 10 समस्त जाति हरिजन निवासी खातोली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

11. तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक :–21–12–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 60 में दर्ज खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 तथा प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 7 की स्व. माता नाराणी पुत्री जीवनराम व प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 की स्व. माता श्रवण देवी पुत्री जीवनराम वर्तमान में संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वर्णित [illegible] पुरा स्थित खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण [illegible] पूर्वाधिकारी स्व. जीवनराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा जीवनराम [illegible] होने के कारण उक्त सम्पूर्ण आराजियात का विरासतन का नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार उनके सभी वारिशान के नाम दर्ज होना चाहिए था जिनका उक्त आराजियात में स्व. जीवनराम के विधिक वारिश होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से सहवन से उक्त आराजियात का नामांतरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि उक्त आराजियात में वादी का भी स्व. जीवनराम का विधिक वारिश होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। विधिक का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सम्पति का उत्तराधिकार तय करते समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके सभी वारिशान के नाम विरासतन का नामांतरण दर्ज होना चाहिए, उक्त आराजियात में वादी का भी स्व. जीवनराम का विधिक वारिश होने के कारण हिस्सा निहित है। इस प्रकार उक्त भूमि वादी की पैतृक/पुश्तैनी/दादालाई सम्पति है, इसलिए वादी उक्त वाद वर्णित भूमि में अपना नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है, इसलिए वादी को यह दावा घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 60 में दर्ज खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि में वादी का नाम 1/7 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 प्रत्येक को हिस्सा 1/7, 1/7 का तथा प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 7 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/7 का तथा प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/7 का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 60 में दर्ज खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि में वादी का नाम 1/7 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को हिस्सा 1/7, 1/7 का तथा प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 7 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/7 का तथा प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/7 का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे तो इसके लिए प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 सहमत है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 को किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति नहीं है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2054–2057 (प्रदर्श–1), संवत् 2058–61 (प्रदर्श–3), जमाबंदी संवत् 2074–77 (प्रदर्श–1), वारिश प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत टीबा पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र भूरेलाल पुत्र स्व. जीवनराम (पी.डब्ल्यू.–1), सुरेश कुमार पुत्र रामस्वरूप (पी.डब्ल्यू.–2), कृष्ण कुमार पुत्र झाबर राम (पी.डब्ल्यू.–3) भी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2054–2057 (प्रदर्श–2) [illegible] 26 है0 जीवनराम वल्द दूलाराम कौम हरिजन सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड [illegible] खातेदार जीवनराम की मृत्यु के पश्चात् विरासतन नामांतरकरण [illegible] जीवनराम, नाराणी, सोना, मैना, लाली, चमेली, श्रवण पुत्रियां [illegible] हुआ है। ग्राम पंचायत टीबा द्वारा स्व. जीवनराम के वारिशान का प्रस्तुत वारिश प्रमाण पत्र एवं वाद पत्र की खण्ड सं. 2 में अंकित स्व. जीवनराम का सजरा खानदान के के अवलोकन साबित है कि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

का उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में नाम दर्ज होने से सहवन से छुट गया। जो दुरूस्ती योग्य है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 60 में दर्ज खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि में वादी को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 7 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

भूरेलाल

ब–ना–म

चमेली आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 196/2022

निर्णय दिनांक :– 21–12–2022

वादी की ओर से **श्री राजेश गुप्ता एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री संदीप जोरासिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **21–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 60 में दर्ज खसरा नंबर 550 रकबा 1.26 है. भूमि में वादी को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 7 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 10 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **21–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner